राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक– एच/एफएसएसए/एफ–93/2012/734 दिनांक 18.07.2012

अभिहीत अधिकारी एवं
संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
मुख्यालय।

समस्त अभिहीत अधिकारी एवं
उप निदेशक, जोन राजस्थान।

समस्त अभिहीत अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान

विषयः– खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 की पालना सुनिश्चित कराने बाबत।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार **"किसी खाद्य उत्पाद में संघटको के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा"**।

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं किं आपके क्षेत्राधिकार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत ऐसे पान मसाला, गुटखा एवं खाद्य पदार्थ जिनके संघटको के रूप में तम्बाकू व निकोटिन का उपयोग किया जा रहा हो, का विनिर्माण भण्डारण, वितरण एवं विक्रय को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही करावें तथा ऐसे खाद्य पदार्थो के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय हेतु किसी भी खाद्य व्यवसायी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किये जावें।

Sd/-
(डॉ0 बी0 आर0 मीणा)
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
राजस्थान जयपुर

क्रमांक– एच/एफएसएसए/एफ–93/2012/734 दिनांक 18.07.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, आबकारी विभाग राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
12. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 बी0 आर0 मीणा)
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
राजस्थान जयपुर